

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा

क्रमांक- 1073/री-2/भू.अ./2017  
प्रति.

खण्डवा, दिनांक- 2.5.2017

नियंत्रक  
केन्द्रीय मुद्रणालय,  
भोपाल

विषय-

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 उद्घोषणा का राजपत्र में प्रकाशन होने बाबत। प्रकरण क्रमांक 10/अ-82/16-17 ग्राम सहेजला तहसील खण्डवा

---00---

"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013" की धारा 19 उद्घोषणा का प्रकाशन म.प्र.राजपत्र भाग-1 में होना है। कलेक्टर एवं पदे उप सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, जिला खण्डवा द्वारा हस्ताक्षरित धारा 19 उद्घोषणा की तीन प्रति आपकी ओर भेजी जा रही है।

कृपया इसका प्रकाशन राजपत्र में शीघ्र करवाकर इस कार्यालय को सूचित करने का क करें।

पृ. क्रमांक- 1074/री-2/भू.अ./2017  
प्रति.

प्रतिलिपि-



अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

खण्डवा, दिनांक- 2.5.2017

- 1 कार्यपालन अभियंता सिविल संभाग एक श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया की सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु धारा 19 उद्घोषणा का प्रकाशन दो समाचार पत्रों में करा जाकर प्रकाशन प्रतिया इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।
2. जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (एन.आई.सी.) खण्डवा की ओर कलेक्टर महोदय द्वारा हस्ताक्षरित धारा 19 उद्घोषणा को जिले की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करे।
3. तहसीलदार खण्डवा की ओर 6 प्रतियां भेजकर लेख है कि, एक-एक प्रति चस्पा कर तथा ग्राम में डोंडी पिटवाकर बाद तामिली के मय अपने प्रमाणीकरण के 8 दिवस में वापिस भिजवाने की व्यवस्था करे।

1. कलेक्टर कार्यालय नोटीस बोर्ड
2. एस. डी. ओ. कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
3. तहसील कार्यालय खण्डवा नोटीस बोर्ड
4. ग्राम पंचायत नोटीस बोर्ड
5. ग्राम सहेजला की चौपाल पर

अनुविभागीय अधिकारी, एवं  
भू-अर्जन-अधिकारी खण्डवा

कार्यालय कलेक्टर एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग जिला खण्डवा  
नस्ती कं. 135 एलए./2015

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 10/अ-82/15-16

खण्डवा, दिनांक 02/05/2017

// उद्घोषणा //

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है।

// अनुसूची //

1) भूमि का वर्णन:-

(क) जिला	:	खण्डवा
(ख) तहसील	:	खण्डवा
(ग) ग्राम	:	सहेजला
(घ) अर्जित रकबा	:	0.03 हेक्टेयर

खसरा क्रमांक	अर्जित रकबा
237/1	0.03
कुल खसरे - 01	0.03 हे०

- 2) सार्वजनिक प्रायोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है, सुरगांवबंजारी से बीड तक रेल मार्ग के निर्माण हेतु।
- 3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा तथा कार्यपालन अभियंता श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना दोंगालिया जिला खण्डवा कार्यालय में किया जा सकता है।



मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

(स्वाती मीणा नायक)

कलेक्टर एवं समुचित सरकार

मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जिला खण्डवा